पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा
उत्तरी दिल्ली, डीपी ब्लॉक, प्रथम तल
पीतमपुरा, दिल्ली-110034, ई-मेल : cs8292@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर ''जहाँ है वहाँ है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/जमानती खाते का नाम एवं पता	A) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि B) मांग सूचना के अनुसार राशि C) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि D) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण बंधककर्ता/स्वामी का नाम [सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता]	A) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) B) ईएमडी C) संविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूति क्रेडिटर के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण
1.	एआरएमबी-उत्तरी दिल्ली(829200) 1. सुश्री प्रिया पत्नी मनीष कुमार पता-1. बी-131 गली नंबर-7, शिव मंदिर रोड, स्वरूप नगर, लिबासपुर, दिल्ली-42 2. सम्पत्ति नंबर-263, ग्राउंड फ्लोर, पॉकेट-04, सेक्टर-22, रोहिणी-110086 3. सम्पत्ति नंबर-147, प्रथम तल पॉकेट-09, सेक्टर-22, रोहिणी-110086 4. मेसर्स ग्रेस इंडिया ट्रैवल (मालिक- सुश्री प्रिया पत्नी श्री मनीष कुमार) पता- बी-58/1, ओल्ड 58/1 ग्राउंड डोर, प्लॉट नंबर बी-59, गली नंबर-9 शिव मंदिर रोड, स्वरूप नगर, लिबासपुर, दिल्ली-110042	01.03.2025 रु. 20.49 लाख + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक और ब्याज, अन्य प्रभार एवं व्यय 07.05.2025 भौतिक कब्जा	रोहिणी आवासीय योजना (रोहिणी, दिल्ली-110086) के लेआउट प्लान में मौजूद पॉकेट-4, सेक्टर-22 में स्थित फ्रीहोल्ड बनी-बनाई सम्पत्ति नंबर 263 (क्षेत्रफल 25.90 वर्ग मीटर) का पूरा ग्राउंड फ्लोर (बिना छत के अधिकार के)। इसमें सम्पत्ति की पूरी जमीन में 1/4 हिस्सा भी शामिल है। यह सम्पत्ति सभी फिटिंग और फिक्स्चर के साथ है और इसमें कॉमन सीढ़ी है। जमीन पर आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार सुश्री प्रिया पत्नी श्री मनीष कुमार के नाम पर हैं।	रु. 18.20 लाख रु. 1.82 लाख रु. 0.25 लाख	27.10.2026 को 11:30 बजे पूर्वा. से 03:30 बजे अप.	निल, ज्ञात नहीं

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें :

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : 1. सम्पत्तियों की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जा रही है। 2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से नीलानी की उपर्युक्त तिथि एवं समय तक होगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया **https://baanknet.com** तथा **www.pnbindia.in** देखें। 5. सभी वैधानिक बकाया/परिचर प्रभार/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित अन्य बकाया क्रेता को वहन करना होगा और प्राधिकृत कार्यालय या बैंक किसी भी शुल्क, भार में ग्रहणाधिकार या सरकार या किसी अन्य को संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली के बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के बारे में स्वतंत्र जांच करें। 6. संपर्क विवरण: 1. श्री ललित गुप्ता मोबाइल नंबर 7579083303, 2. श्री आदर्श कुमार मोबाइल नंबर 9023558003.

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 03.10.2026 स्थान : नई दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

अन्तिम सूचना

दिनांक 10.02.2026 की आम सूचना के सन्दर्भ में समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है की शांतिनगर (पिलानी) गृहनिर्माण सहकारी समिति लि. पिलानी की क्रय शुदा भूमी हनुमतपुरा पिलानी में आवंटित भूखंड के मूल आवंटी या उनके उत्तराधिकारी अपने भूखंड के समस्त दस्तावेज पत्र सहित इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में सोसाइटी कार्यालय धनवंतरि मेडिकोज बस स्टेंड पिलानी में प्रस्तुत करें। इसको अन्तिम सूचना समझी जावे।
मियाद गुजरने के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले दावे स्वीकार नहीं होंगे तथा इसके पश्चात समिति इस बाबत एक तरफा निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगी।

दिनांक : 9.10.2026 अध्यक्ष

के बी कोल्ड स्टोरेज एलएलपी

LLPIN : ACW-2912
पंजी. कार्या.: डी-77, प्रीत विहार,
पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092, भारत
संपर्क : roc.rkgovil@gmail.com

[एलएलपी नियम, 2009 के नियम 17 के अनुसार]

कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी दिल्ली-I), रा.रा.क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष
सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) और एलएलपी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में
और
के बी कोल्ड स्टोरेज एलएलपी (LLPIN :ACW-2912), जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-77, प्रीत विहार, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092, भारत में स्थित है, के मामले में
...याचिकाकर्ता

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 08 अक्टूबर, 2026 को आयोजित भागीदारों की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए एलएलपी समझौते में संशोधन की पुष्टि की मांग करने के लिए एलएलपी सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के तहत कंपनी/एलएलपी रजिस्ट्रार (आरओसी दिल्ली-I), रा.रा.क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के समक्ष आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपनी आपत्ति की प्रकृति और विरोध का आधार बताते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कंपनी/एलएलपी रजिस्ट्रार (आरओसी दिल्ली-I), 5वीं मंजिल, आईएफसीआई टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पते पर इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है, साथ ही, इसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी, परशुराम सीमेंट्स एलएलपी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पतेः डी-77, प्रीत विहार, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092, भारत पर भेजनी होगी।

कृते एवं बोर्ड की ओर से
के बी कोल्ड स्टोरेज एलएलपी
हस्ता./-
रीता गोविल
दिनांकः 08/10/2026 **नामांकित भागीदार**
स्थानः नई दिल्ली **डीआईएनः** 00062493

परशुराम सीमेंट्स एलएलपी

LLPIN : ACW-5204
पंजी. कार्या.: डी-77, प्रीत विहार,
पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092, भारत
संपर्क: roc.rkgovil@gmail.com

[एलएलपी नियम, 2009 के नियम 17 के अनुसार]

कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी दिल्ली-I), रा.रा.क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष
सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) और एलएलपी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में
और
परशुराम सीमेंट्स एलएलपी (LLPIN: ACW-5204), जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-77, प्रीत विहार, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092, भारत में स्थित है, के मामले में
...याचिकाकर्ता

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 08 अक्टूबर, 2026 को आयोजित भागीदारों की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए एलएलपी समझौते में संशोधन की पुष्टि की मांग करने के लिए एलएलपी सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के तहत कंपनी/एलएलपी रजिस्ट्रार (आरओसी दिल्ली-I), रा.रा.क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के समक्ष आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपनी आपत्ति की प्रकृति और विरोध का आधार बताते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कंपनी/एलएलपी रजिस्ट्रार (आरओसी दिल्ली-I), 5वीं मंजिल, आईएफसीआई टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पते पर इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है, साथ ही, इसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी, परशुराम सीमेंट्स एलएलपी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पतेः डी-77, प्रीत विहार, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092, भारत पर भेजनी होगी।

कृते एवं बोर्ड की ओर से
परशुराम सीमेंट्स एलएलपी
हस्ता./-
रीता गोविल
दिनांकः 08/10/2026 **नामांकित भागीदार**
स्थानः नई दिल्ली **डीआईएनः** 00062493

फॉर्म सं.आईएनसी-23
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 28 के अनुसार]
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(5) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 28 के तहत
तथा
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र-I, नई दिल्ली के समक्ष

भूमि रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड,

CIN: U45200DL2008PTC175674,पंजी. कार्यालयः बी-918, गली नं. 8, बी ब्लॉक, बाबा कॉलोनी, गांव बुराड़ी, दिल्ली-110084, के मामले में ...आवेदक कंपनी

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली राज्य के भीतर ही बी-918, गली नं. 8, बी ब्लॉक, बाबा कॉलोनी, गांव बुराड़ी, दिल्ली-110084 से 22, डीडीए फ्लैट्स, पंचशील पार्क, मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017 में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली-II के क्षेत्राधिकार से कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली-I के क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित करने की पुष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(5) के तहत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र-I, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष एक आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी ने 05 अक्टूबर 2026 को आयोजित अपनी असाधारण सामान्य बैठक में पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण को मंजूरी देते हुए आवश्यक विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया है।कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, अपनी आपत्ति की प्रकृति और विरोध का आधार बताते हुए, इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र-I, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पास व्यक्तिगत रूप से जमा करा सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है तथा साथ ही, इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजनी होगीः

भूमि रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड
बी-918, गली नं. 8, बी ब्लॉक, बाबा कॉलोनी, गांव बुराड़ी, दिल्ली-110084

कृते एवं की ओर से
भूमि रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड
अनीता वाधवा
दिनांकः 08/10/2026 **निदेशक**
स्थानः नई दिल्ली **डीआईएनः** 01365816

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय तनावग्रस्त परिसंपत्ति वसूली शाखा, 75/1,
मंगल पांडे नगर, मेरठ (उ.प्र.) – 250004
फोनः 8477000776. ईमेल : sarmee@bankofbaroda.bank.in

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को वैधानिक 15/30 दिन की बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना [परिशिष्ट IV-ए अचल संपत्ति के लिए नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधान का संदर्भ लें]

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के परंतुक के साथ पठित।

एततद्वारा आम जनता को, और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं), बंधककर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार – बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लिखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए 'जैसा है जहाँ है'', ''जैसा है वैसा है'', और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। उधारकर्ता/ओं बंधककर्ता/ओं /गारंटर/ओं /सुरक्षित संपत्ति/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है–

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओ)/गारंटर (ओ)/ बंधककर्ता(ओ) का नाम और पता	अचल संपत्ति का विवरण	कुल देय राशि	ई-नीलामी की तिथि /समय	1. आरक्षित मूल्य 2. ईएमडी न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति -(रचनात्मक/ भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय
1	1. **मेसर्स चौधरी हाइड्रो इंडस्ट्रीज** निवासी – 04/1184, किला नवाब गंज, नियर ऑफिस बांट कांटा, सहारनपुर, यू.पी.–247001. 2. **श्री इक्तदार अहमद पुत्र जुल्फकार अहमद (उधारकर्ता)** पता–04/1184, किला नवाब गंज, नियर ऑफिस बांट कांटा, सहारनपुर, यू. पी.–247001 3. **श्री अरशद अहमद पुत्र मोहम्मद इकबाल,** फर्म मेसर्स एनी इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन में पार्टनर, (गारंटर) विल– महीपुरा देहरादून रोड, सहारनपुर–247001 उत्तर प्रदेश 4. **श्री जसीम खान पुत्र श्री इक्तदार अहमद (गारंटर)** निवासी–04/1184 किला निवाब गंज, नियर ऑफिस बांट कांटा, सहारनपुर–247001 उत्तर प्रदेश	संपत्ति नगर पालिका संख्या 04/1160 के एक भाग में स्थित है, वेक मोहल्ला नवाब गंज, किला के पास, जिसका क्षेत्रफल 60.70 वर्ग गज है। पूर्वः रमजान अहमद की संपत्ति, पश्चिमः नवाब साहब की संपत्ति, उत्तरः रफत झा की संपत्ति, दक्षिणः 18 फीट चौड़ा रास्ता यदि कोई भार हो– ज्ञात नहीं	रु. 38,79,421.84/– (रुपये अड़तीस लाख उनासी हजार चार सौ इक्कीस और चौरासी पैसे मात्र) दिनांक 09–02–2026 तक तथा आगे का ब्याज, कानूनी खर्च और अन्य विविध शुल्क।	28.10.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक	रु. 35,11,013/– रु. 3,51,101/– रु. 10,000/–	सांकेतिक कब्जा	15.10.2026 दोपहर 03:00 बजे से षाम 05:00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल **https://baanknet.com** देखें/विजिट करें। साथ ही, इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी से मोबाइल – 8477000776 पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनांकः 08.10..2026, स्थानः मेरठ अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking

जी ए अनुभाग
दक्षिण दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली
फोन 011-26173277 ईमेलः rosdelga@canarabank.com

लॉकर खोलने हेतु सार्वजनिक सूचना परिशिष्ट–25

यह सभी संबंधित व्यक्तियों और सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के तहत नामित व्यक्ति/यों ने केनरा बैंक (ई–सिंडिकेट बैंक की शाखाओं सहित) की नीचे वर्णित शाखाओं में सुरक्षित जमा लॉकर की सुविधा का लाभ उठाया है। संबंधित शाखाओं ने पहले ही हमारे बैंक रिकॉर्ड के अनुसार नवीनतम पते पर लॉकर किरायेदारों/एलआए को पंजीकृत डाक द्वारा व्यक्तिगत पत्र/सूचनाएं भेजी हैं, जिनमें लॉकर किराए की बकाया राशि चुकाने का अनुरोध किया गया है। इन सूचनाओं के बावजूद, लॉकर किरायेदारों/एलआए ने शाखा से संपर्क नहीं किया है न ही लॉकर के किराए की बकाया राशि जमा की है।

नीचे नामित लॉकर धारकों और उनके कानूनी वारिसों से अनुरोध किया जाता है कि इसे अंतिम सूचना के रूप में मानें और संबंधित दस्तावेजों के साथ संपर्क करें और इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिनों के भीतर लॉकर के किराए की बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा बैंक लॉकर को बिना किसी अन्य सूचना या सूचना के खोलेगा, जिसके लिए पूरा खर्च और जोखिम धारकों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों/वारिसों का होगा।

क्र. सं.	शाखा का नाम/ संपर्क नंबर	लॉकर संख्या	बकाया लॉकर किराया	लॉकर किराएदार का नाम एवं पता
1.	दिल्ली मालवीय नगर शाखा (1387) / **अर्चना सिंह (9955949733)**	6	₹17447	**श्री अमरजीत सिंह रहेजा** 680, सेक्टर–23, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन – 110017
2.	दिल्ली हौज खास मार्केट शाखा (1445) / **रोहित पाहवा (9988434151)**	100	₹ 17464	**श्री अमित खन्ना** के–9, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली, पिन – 110016
3.	दिल्ली हौज खास मार्केट शाखा (1445) / **रोहित पाहवा (9988434151)**	115	₹ 18616.29	**श्री कंवरजीत सिंह** बी–12, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–II, नई दिल्ली, पिन – 110049
4.	दिल्ली हौज खास मार्केट शाखा (1445) / **रोहित पाहवा (9988434151)**	863	₹ 34107	**श्री निशांत दयाल** बी–5 एवं 6/4193, वसंत कुंज, नई दिल्ली, पिन – 110070
5.	दिल्ली हौज खास मार्केट शाखा (1445) / **रोहित पाहवा (9988434151)**	365	₹ 17464	**सुश्री विनी जैन** 1/21, सर्वप्रिया विहार, नई दिल्ली, पिन – 110016
6.	दिल्ली लाजपत नगर शाखा (341) / **रुपाली गुप्ता (9953914757)**	2125	₹ 16907	**श्रीमती प्रियम आहूजा** 2484 मार्शल ड्राइव, ब्रेंटवुड, सीए 94513, कैलिफोर्निया, अमेरिका
7.	दिल्ली नेहरू प्लेस शाखा (390) / **स्वाति कुमारी (9810292528)**	134	₹ 17464	**श्री हरद्वारी लाल कपूर** पीटी 62/25, कालकाजी, पोस्ट ऑफिस के पास, नई दिल्ली, पिन – 110019
8.	दिल्ली साउथ एक्सटेंशन शाखा (267) / **मीनाक्षी शर्मा तनेजा (9971060267)**	166	₹ 16763	**सुश्री मधु देवी** बी–814, महावर नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली, पिन – 110003
9.	दिल्ली ग्रेटर कैलाश–II शाखा (2741) / **तरुणा चार्य (9756174905)**	207	₹ 17464	**डॉ. दीपक खत्री** एफ–702, नीलांबर बेलिसिमो, वासना–भायली रोड, वडोदरा, गुजरात, पिन – 391410

Date: 08.10.2026 Authorised Officer, Canara Bank

फॉर्म न.
(विनियम 33(2) देखें)
पंजीकृत द्वारा. ए/डी, दस्ती प्रकाशन द्वारा

वसूली अधिकारी कार्यालय-I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी-1)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के तहत अचल संपत्ति के अटेचमेंट का कारण बताएं

टीआरसी/435/2023 05.09.2026

यूनियन बैंक ऑफ बैंक बनाम बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज एवं अन्य

को,

(सीडी1) मैसर्स बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज, अपने भागीदारों के माध्यम से, बी–1/46, गली नंबर 03, न्यू अशोक नगर, दिल्ली–110096
(सीडी2) दिनेश कुमार सिंघल पुत्र स्वर्गीय ओ. पी. सिंघल, मकान नंबर 131, सेक्टर–55, नोएडा, उत्तर प्रदेश
(सीडी3) शशि सिंघल पत्नी दिनेश कुमार सिंघल, मकान नंबर 131, सेक्टर–55, नोएडा, उत्तर प्रदेश
(सीडी4) राम सिंह पुत्र स्वर्गीय आर. बी. सिंह, मकान नंबर डी–171, सेक्टर–49, नोएडा, उत्तर प्रदेश

जबकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) द्वारा जारी और पारित वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार राशि रुपये 7,09,55,409.00 (रु. सात करोड़ नौ लाख पच्चपन हजार चार सौ नौ मात्र) और दिनांक 27.09.2017 से वसूली तक 14.75% की दर से पेंडेंटलाइट और भविष्य के ब्याज सहित और 150000.00 रुपये की लागत आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और अलग–अलग/पूरी तरह/सीमित) देय हो गई है, और जबकि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

2. आपको 23.10.2026 को सुबह 10:30 बजे वसूली अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के समक्ष उपस्थित होने और कारण बताने का निर्देश दिया जाता है कि नीचे दी गई संपत्ति को अटैच क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

आपको आगे के आदेश(ओं) तक इस संपत्ति में किसी भी तीसरे पक्ष के हित को बनाने से भी रोका जाता है।

सम्पत्ति का विवरण

संपत्ति का प्रकार	संपत्ति का विवरण
अचल संपत्ति	**सम्पत्ति नं. डी–171, सैक्टर–49, नोएडा, यू.पी.**

3. ध्यान रखें कि चूक होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 05.09.2026 को दिया गया।

निरंजन शर्मा
वसूली अधिकारी–II
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी–I)

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

एआरएमबी : पश्चिम दिल्ली, दूसरी मंज़िल, विक्रांत टॉवर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 ई–मेलः cs8334@pnb.bank.in

उधारकर्ता / कानूनी उत्तराधिकारियों / दावेदारों / इच्छुक व्यक्तियों के लिए सूचना
सार्वजनिक सूचना

आम जनता और विशेष रूप से नीचे दी गई तालिका में बताए गए आवास ऋण खातों के उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है – जिन्हें नॉन–परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है– कि बार–बार कोशिशों और नोटिस के बावजूद, उधारकर्ता अपने आखिरी ज्ञात पते पर नहीं मिल रहे हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।

क्रम संख्या	खाते का नाम	खाता संख्या	एनपीए की तारीख	बकाया राशि (30.09.2026 तक)	सुरक्षित संपत्ति का विवरण	बिल्डर/ डेवलपर	आवासीय पता
1	राहुल ममतानी	16646016000045	01/09/2020	रु. 1,47,75,376.26/–	वीई–103, द हेमिस्फियर, प्लॉट नंबर आरईपी–2, सेक्टर–27, ग्रेटर नोएडा,	रॉयल गोल्फ लिंक सिटी प्रोजेक्ट्स	पिता श्री नरेश कुमार ममतानी एफ /137, तीसरी मंज़िल, विकास पुरी, दिल्ली–110018

बैंक/वित्तीय संस्थान, यानी पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच (वेस्ट दिल्ली) दूसरी मंज़िल, विक्रांत टॉवर, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली में है, का ऊपर दी गई तालिका में बताए अनुसार 30.09.2026 तक बकाया है (इसमें आगे का ब्याज, शुल्क, लागत और खर्च शामिल नहीं हैं), जो ऊपर बताए गए ऋण खातों से संबंधित है। यह ऋण ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार उस सम्पत्ति के बदले लिया गया था, जो संबंधित कॉलम में बताए गए बिल्डर द्वारा विकसित प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बैंक को बिल्डर से उक्त ऋण खाता के बकाया धनराशि , साथ ही लागू होने वाले भविष्य के ब्याज और चार्ज के भुगतान/जमा करने का प्रस्ताव मिला है। यह प्रस्ताव संबंधित पक्षों के बीच तय/प्रस्तावित शर्तों और नियमों के अधीन है।

इसलिए, उधारकर्ता उनके कानूनी वारिस, प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, असाइनी, या कोई अन्य व्यक्ति जिसे उक्त ऋण खाता और/या उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई अधिकार, हक, हित, दावा या आपत्ति है, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्तियां/दावे लिखित रूप में बैंक को सौंपें।

यदि उक्त अवधि के भीतर कोई आपत्ति/दावा प्राप्त नहीं होता है, तो इसे सहमति मान लिया जाएगा और बैंक बिल्डर से अपने बकाया पैसे की वसूली/भुगतान के प्रस्ताव पर आगे बढ़ेगा। साथ ही, ऋण दस्तावेजों की लागू शर्तों और नियमों के अनुसार, बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के उक्त सम्पत्ति को बैंक के अधिकार से मुक्त करके बिल्डर के पक्ष में कर दिया जाएगा। इसके बाद उक्त सम्पत्ति के लिए उठाए गए किसी भी दावे/आपत्ति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। उक्त सम्पत्ति के लिए बैंक सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा और सम्पत्ति पर उधारकर्ता का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

यह नोटिस पूरी सावधानी बरतते हुए और ऋण दस्तावेजों तथा लागू कानून के तहत बैंक को उपलब्ध सभी अधिकारों और उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रकाशित किया जा रहा है।

दिनांक : 07.10.2026 पंजाब नेशनल बैंक
स्थानः दिल्ली अधिकृत अधिकारी

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

ग्रेटर नोएडा शाखा : पहली मंज़िल, एस-7, गामा शॉपिंग मॉल, सेक्टर - गामा 1,
जगत ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201308
ईमेल- greaternoida@indianbank.bank.in

परिशिष्ट-IV-A "[नियम 8(6) / 9(1) के प्रावधान देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) / 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री देशराज सिंह (उधारकर्ता और बंधककर्ता), पता–ए–145/75 बी, फ्लैट नंबर–6, पहली मंजिल, गली नंबर–01, कृष्णा पुरी, मंडावली, फजलपुर, नई दिल्ली–92

ऋण खाता संख्या 6336184776

श्रीमती नीलम तोमर पत्नी श्री राजीव कुमार (सह–उधारकर्ता/गारंटर), पता–ए–145/75 बी, फ्लैट नंबर 6, पहली मंजिल, गली नंबर 01, कृष्णा पुरी, मंडावा, फजलपुर, नई दिल्ली–92

एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणियों,गारंटरों एवं बन्धनकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक/रचनात्मक कब्जा इंडियन बैंक ग्रेटर नोएडा शाखा (सुरक्षित ऋणदाता),के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है जिसे श्री राजीव कुमार (उधारकर्ता) से 06.10.2026 तक की बकाया राशि **रु. 16,79,405/– (सोलह लाख उन्यासी हज़ार चार सौ पाँच रुपये)** से इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, ग्रेटर नोएडा शाखा,सुरक्षित ऋणदाता के बकायों की वसूली हेतु **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर दिनांक 28.10.2026 को बेचा जाएगा :

सम्पत्ति का विस्तृत विवरण (सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ)	प्लॉट नंबर सी–07, गंगा विहार, गाँव–सदुल्लाबाद, परगना, तहसील–लोनी, ज़िला–गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित फ्लैट नंबर एसएफ 03, दूसरी मंज़िल (बिना छत के अधिकारों के) का वह सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश। इसका क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मीटर है और यह श्री राजीव कुमार (पिता श्री देशराज सिंह) के नाम पर है। इसकी सीमाएँ नीचे बताई गई हैं। उत्तर–पूर्वः खुली जगह, उत्तर–पश्चिमः खाली प्लॉट, दक्षिण–पूर्वः दूसरी प्रॉपर्टी, दक्षिण–पश्चिमः एंट्री + फ्लैट नंबर एसएफ–1
सम्पत्ति पर कोई बोझ/देनदारी (यदि हो):	उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार कोई नहीं
आरक्षित मूल्य	रु. 7,20,000/– (सात लाख बीस हज़ार रुपये मात्र)
ईएमडी राशि	रु. 72,000/– (बहत्तर हज़ार रुपये मात्र)
बोली वृद्धिशील राशि	रु. 25,000/– (पच्चीस हज़ार रुपये मात्र)
ई नीलामी की तिथि एवं समय	28.10.2026 (सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक)
संपत्ति आईडी सं.	**IDIB3181009991**

ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे हमारी ई–नीलामी सर्विस प्रोवाइडर पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (**https://baanknet.com**) पर जाएं। तकनीकी सहायता के लिए कृपया 8291220220 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन और ईएमडी स्टेटस के लिए कृपया **support.ebkray@psballiance.com** पर ईमेल करें।
प्रॉपर्टी की जानकारी, फोटो और नीलामी की शर्तों के लिए **https://baanknet.com** पर जाएं और इस पोर्टल से जुड़ी जानकारी के लिए पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड से (संपर्क नंबरः 8291220220) संपर्क करें।
बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे **https://baanknet.com** वाली वेबसाइट पर संपत्ति खोजते समय ऊपर उल्लिखित संपत्ति आईडी सं. का उपयोग करें।

दिनांक : 07.10.2026 स्थान : नोएडा अधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

फॉर्म न.
(विनियम 33(2) देखें)
पंजीकृत द्वारा. ए/डी, दस्ती प्रकाशन द्वारा

वसूली अधिकारी कार्यालय-I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी-1)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

उपस्थिति सूचना

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 के अंतर्गत, आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 83 के साथ पठित नियम 25 (एए) के साथ पठित

टीआरसी/435/2023 **05–09–2026**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज एंड अन्य

सेवा में,
निम्नलिखित संपत्तियों के स्वामी/अधिभोगीय
(i) संपत्ति संख्या 1–4091, गौर ग्रीन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.
(ii) संपत्ति संख्या बी–88, सेक्टर–46, नोएडा, उ.प्र.

आपको दिनांक 02.09.2026 के आदेश के अनुसार अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने तथा मामले में आगे की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है।

आपको एतद्द्वारा दिनांक 23.10.2026 को प्रातः 10:30 बजे आगे की कार्यवाही हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मुहर के तहत, इस दिनांक 05/09/2026 को जारी किया गया।

निरंजन शर्मा
ऋण वसूली अधिकारी–II
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

फॉर्म न.
(विनियम 33(2) देखें)
पंजीकृत द्वारा. ए/डी, दस्ती प्रकाशन द्वारा

वसूली अधिकारी कार्यालय-I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी-1)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

डिफॉल्ट नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 29 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत नोटिस

टीआरसी/435/2023 05–09–2026

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज एंड अन्य

को

(सीडी2) दिनेश कुमार सिंघल पुत्र स्वर्गीय ओ. पी. सिंघल, निवासी मकान संख्या ए–131, सेक्टर–55, नोएडा, उ. प्र. तथा यह भीः निवासी 1–4091, गौर ग्रीन सिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201307
(सीडी3) शशि सिंघल पत्नी दिनेश कुमार सिंघल, निवासी मकान संख्या ए–131, सेक्टर–55, नोएडा, उ. प्र. तथा यह भीः निवासी–1017, वास्तो ब्लॉक, महाजुन मेंशन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.–201307

उपरोक्त मामला दिनांक 02.09.2026 को ऋण वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के समक्ष सुनवाई हेतु सूचीबद्ध था, किन्तु आपकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

2. आपको निर्देशित किया जाता है कि मामले में आगे की कार्यवाही हेतु दिनांक 23.10.2026 को प्रातः 10.30 बजे ऋण वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के समक्ष उपस्थित हों।

3. ध्यान दें कि अनुपालन न करने की स्थिति में विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मुहर के तहत, इस दिनांक 05/09/2026 को जारी किया गया।

निरंजन शर्मा
ऋण वसूली अधिकारी–II
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा
इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, प्रथम तल, 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
ई-मेल : armbdelhi@indianbank.bank.in, दूरभाष : 011-2701590

दिनांक : 29.09.2026

विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय/आदेशों को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में कर्जदार को सूचित करने वाला पत्र

सेवा में
1. **श्री सुशील अंसल (गारंटर),** 26, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली - 110001।
2. **श्री प्रणव अंसल (गारंटर),** 26, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली - 110001।
3. **सुश्री अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर),** 1202-सी, अंतरिक्ष भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

प्रिय श्रीमान/महोदया,

मेसर्स अंसल एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने पीएमडीओ के कंसोर्टियम के तहत पंजाबी बाग शाखा, दिल्ली (इंडियन बैंक एक्सपोजर) और आईएफबी, नई दिल्ली (ई-एबी एक्सपोजर) से क्रेडिट सुविधाएं ली हैं, जिन्हें अब एसएएम शाखा नई दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह खाता 30.11.2017 को एनपीए बन गया। 20.06.2026 तक कुल बकाया राशि रु. 120.31 करोड़ है। कर्जदार और गारंटर की चूक या गलती की वजह से खाता डिफॉल्ट हुआ, इसकी जांच आरबीआई दिशा-निर्देश (इरादतन चूककर्ता और बड़े चूककर्ता का उपचार) 2015 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार, 26.04.2024 को विलफुल डिफॉल्टर आइडेंटिफिकेशन कमेटी (डब्ल्यूडीआईसी) ने की। समिति ने प्रथम दृष्टया पाया कि अनियमितताएँ/चूक 'इरादतन चूककर्ता' के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के मानदंडों को पूरा करते हैं। इसलिए, समिति ने कर्जदार कंपनी मैसर्स अंसल एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और इसके गारंटर गारंटरों - श्री सुशील अंसल और श्री प्रणव अंसल - तथा कॉर्पोरेट गारंटर मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 'इरादतन चूककर्ता' के तौर पर वर्गीकृत करने के लिए 'कारण बताओ नोटिस' (एससीएन) जारी करने की मंजूरी दी।

इरादतन चूक के आधार की विधिवत जानकारी देते हुए कर्जदार कंपनी मेसर्स अंसल एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इसके गारंटर श्री सुशील अंसल और श्री प्रणव अंसल तथा कॉर्पोरेट गारंटर मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिनांक 12.06.2024 के पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत/सबमिशन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 21 दिनों का समय देते हुए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) भेजा गया था, जिसमें पूछा गया था उन्हें 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत क्यों न किया जाए।

एससीएन जारी करना और उसका जवाबः

डब्ल्यूडीआईसी के 26.04.2024 के निर्देश के अनुसार, 12.06.2024 के पत्र के माध्यम से कर्जदार कंपनी मैसर्स अंसल एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसके गारंटर श्री सुशील अंसल और श्री प्रणव अंसल, और कॉर्पोरेट गारंटर मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 'इरादतन चूककर्ता' मानते हुए एससीएन जारी किया गया और ये नोटिस उन सभी को पहुंचा दिए गए। एससीएन के जवाब में, 26.06.2024 को कर्जदार कंपनी और उसके गारंटर से जवाब मिला। एससीएन जारी करने और उसके पहुंचने के नतीजे को आगे की चर्चा के लिए डब्ल्यूडीआईसी के सामने रखा गया।

विलफुल डिफॉल्टर आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने 29.08.2026 को बैठक आयोजित की, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

1. कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष)
2. सीजीएम (खुदरा और एमएसएमई)
3. महाप्रबंधक (मिड कॉर्पोरेट)
4. महाप्रबंधक (बीओडी)

कर्जदार कंपनी का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि समिति ने पाया कि एनपीए के समय और एनपीए बनने के बाद गारंटरों की निवल संपत्ति थी। इसके अलावा, श्री सुशील अंसल और श्री प्रणव अंसल को पंजाब नेशनल बैंक (ई-ओबीसी) द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, उचित विचार-विमर्श और रिकॉर्ड के आधार पर, विलफुल डिफॉल्टर आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने सर्वसम्मति से कर्जदार कंपनी मेसर्स अंसल एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के गारंटरों को वर्गीकृत करने के लिए विलफुल डिफॉल्टर रिव्यू कमेटी (डब्ल्यूडीआरसी) के समक्ष एक प्रस्ताव बनाने की मंजूरी दे दी है। आरबीआई मास्टर सर्कुलर (इरादतन चूककर्ता और बड़े चूककर्ताओं का उपचार) 2015 के संदर्भ में, भुगतान करने की क्षमता के खंड के तहत श्री सुशील अंसल और श्री प्रणव अंसल और कॉर्पोरेट गारंटर मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम आपको डब्ल्यूडीआईसी द्वारा डब्ल्यूडीआरसी के समक्ष आपको 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक प्रस्ताव बनाने के लिए लिए गए निर्णय को सूचित करते हैं। डब्ल्यूडीआईसी के इस निर्णय की समीक्षा/पुष्टि आरबीआई परिपत्र के तहत गठित डब्ल्यूडीआरसी द्वारा की जाएगी जिसमें एमडी और सीईओ और 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। डब्ल्यूडीआरसी उधारकर्ता कंपनी के गारंटरों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

श्री सुशील अंसल और श्री प्रणव अंसल और कॉर्पोरेट गारंटर मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कर्जदार कंपनी मेसर्स अंसल एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के गारंटर, यदि इस निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर बैंक के डब्ल्यूडीआरसी के समक्ष लिखित रूप में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अपना अभ्यावेदन/अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि निर्धारित अवधि के भीतर उक्त व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई अभ्यावेदन/कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि आप व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का लाभ उठाने में रुचि नहीं रखते हैं या यदि डब्ल्यूडीआरसी आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप में दिए गए अभ्यावेदन/प्रस्तुतीकरण से संतुष्ट नहीं है (जैसा भी मामला हो), तो बैंक का डब्ल्यूडीआरसी आपको इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा और डब्ल्यूडीआरसी द्वारा इस तरह के वर्गीकरण पर, आपकी तस्वीर प्रकाशित की जाएगी और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आरबीआई, सिबिल और अन्य क्रेडिट सूचना कंपनियों को इरादतन चूककर्ता के रूप में आपका नाम सूचित किया जाएगा और बैंक लागू कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।

यह पत्र बैंक की विलफुल डिफॉल्टर आइडेंटिफिकेशन कमेटी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
उप महाप्रबंधक / शाखा प्रमुख, एसएएम दिल्ली
नामित अधिकारी
विलफुल डिफॉल्टर आइडेंटिफिकेशन कमेटी (डब्ल्यूडीआईसी) के लिए